भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2556

गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>लघु पन बिजली परियोजनाओं को सहायता</u>

2556. कुमारी राम्या हरिदासः

डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानीः

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या सरकार 25 मेगावाट से कम उत्पादन क्षमता वाली लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से केरल में अपनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और गत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की ऐसी निधियों के संवितरण में कोई विलंब हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को पूर्व में दी जा रही राजसहायता को बहाल किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) जी, नहीं। वर्तमान में, लघु पन बिजली परियोजनाओं (25 मेगावाट क्षमता तक) की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ): जी, नहीं। मंत्रालय को केरल सरकार से एसएचपी परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) सरकार द्वारा प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दी गई सब्सिडी/केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे अनुलग्नक-**I** में दिए गए हैं।

(च) विभिन्न राज्यों में सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के ब्यौरे अनुलग्नक-**II** में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-**I**

'लघु पन बिजली परियोजनाओं को सहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2556 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दी गई सब्सिडी/केन्द्रीय वित्तीय सहायता सीएफए

योजना/कार्यक्रम	इस समय योजना के अनुसार पात्र प्रोत्साहन
क) ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं	(i) आवासीय क्षेत्र के लिए • 3 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) • 3 किलोवाट पीक से अधिक और 10 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए • 500 किलोवाट पीक तक की जीएचएस/आरडब्ल्यूए क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए (प्रति घर 10 किलोवाट पीक तक और कुल 500 किलोवाट पीक तक सीमित) (ii) डिस्कॉमों के लिए बेसलाइन से अधिक क्षमता वृद्धि में उपलब्धियों के आधार पर, परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक प्रोत्साहन।
ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी संगठनों, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।
ग) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'	लाभार्थी सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा पर, (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूल के प्रदर्शन मानदंड [अधिकतम विद्युत की क्षमता और ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट) पर; और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि के प्रतिशत पर।
घ) सौर पार्क योजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। संरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।
ङ) पीएम-कुसुम योजना	घटक-क: 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है। घटक-ख: 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, का 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग: फीडर स्तरीय सौरीकरण सहित 15 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण। उपलब्ध लाभ: क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण: सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, का

	30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, का 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण: एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है।
च) हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंट्रा-स्टेट पारेषण प्रणाली के विकास के लिए)	जीईसी चरण-I: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, का 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता। जीईसी चरण-II: डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, का 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।
छ) बायोमास कार्यक्रम:	(क) ब्रिकेट/पैलेट निर्माण संयंत्र: 9 लाख रु. प्रति टीपीएच (अधिकतम सीएफए- 45 लाख रु. प्रति परियोजना) (ख) गैर-खोई सह-उत्पादन परियोजना: 40 लाख रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए- 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)
ज) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम	(क) बायोगैस उत्पादन के लिए: 0.25 करोड़ रु. प्रति 12000 घन मीटर प्रति दिन (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना) (ख) बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए: (अधिकतम सीएफए – 10 करोड़ रु. प्रति परियोजना) (i) नए बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन के लिए – 4.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (ii) मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन के लिए – 3.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (ग) बायोगैस पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए: (अधिकतम सीएफए – 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना) (i) नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (ii) मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (घ) जैव एवं कृषि औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन (दहन प्रक्रिया के जरिए एमएसडब्ल्यू को छोड़कर) के लिए: 0.40 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए – 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना) (ङ) विद्युत/थर्मल अनुप्रयोगों हेतु बायोमास गैसीफायर के लिए: (i) विद्युत अनुप्रयोग के लिए ड्यूअल फ्यूल इंजन के साथ 2500/- रु. प्रति किलोवाट विद्युत (ii) विद्युत अनुप्रयोग के लिए 100% गैस इंजन के साथ 15000 रु. प्रति किलोवाट विद्युत (iii) थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रु. प्रति 300 किलोवाट थर्मल विद्युत नोट: • यदि अपशिष्ट से ऊर्जा वाले संयंत्र विशेष श्रेणी वाले राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित किए जाते हैं, तो पात्र सीएफए उपर्युक्त मानक सीएफए पैटर्न से 20% अधिक होगी। • स्वतंत्र रूप से गौशाला द्वारा अथवा संयुक्त उद्यमों/साझेदारी के जरिए स्थापित, मुख्य फीडस्टॉक के रूप में पशु गोबर पर आधारित बायोगैस/बायो-सीएनजी/विद्युत (बायोगैस आधारित) उत्पादन संयंत्रों के लिए उपर्युक्त मानक सीएफए पैटर्न से 20% अधिक सीएफए के पात्र होंगे। ये गौशाला (शेल्टर) संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकृत होने चाहिए।
झ) बायोगैस कार्यक्रम	(क) लघु बायोगैस संयंत्रों (1 से 25 घन मीटर प्रति दिन क्षमता के संयंत्र) के लिए घन मीटर में संयंत्र के आकार के आधार पर प्रति संयंत्र 9800/- रु. से 70400/- रु. (ख) विद्युत उत्पादन के लिए प्रति किलोवाट 35000/- रु. से 45000/- रु. और थर्मल अनुप्रयोगों (25 से 2500 घन मीटर प्रति दिन संयंत्र क्षमता) के लिए प्रति किलोवाट समतुल्य हेतु 17500/- रु. से 22500/- रु.

अनुलग्नक-**II**

'लघु पन बिजली परियोजनाओं को सहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2556 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

विभिन्न राज्यों में सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरु की गई योजनाएं

1. 40,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना
2. व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ सरकारी उत्पादकों द्वारा 12,000 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)
3. उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'
4. लघु ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैंडअलोन सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना
5. ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप विद्युत संयंत्रों के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II

*****